भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 130

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024

सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से सुनिश्चित रोजगार

130. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की प्रभावकारिता का ब्योरा क्या है और असम के बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और इसके परिणामस्वरूप रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) भारत सरकार, कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत असम राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई स्कीम देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशल प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के निरक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यरत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस): यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई तरह के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है।

एमएसडीई की उपरयुक्त स्कीमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

स्कीम	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	
	अखिल भारत	असम
पीएमकेवीवाई)प्रारंभन से अक्तूबर, 2024 तक(	15755371	824314
जेएसएस वित्त)-वर्ष 2018-19 से नवंबर 2024 तक(	2735435	55147
एनएपीएस (वित्त-वर्ष 2018-19 से अक्तूबर 2024 तक(	3365404	40594
सीटीएस (वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक)	6501712	18548

एमएसडीई की स्कीमों में से, पहले तीन संस्करणों में पीएमकेवीवाई के एसटीटी घटक के तहत नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 है, जिसे वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया। पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में क्रमशः 2,53,296, 21,41,575 और 43,016 उम्मीदवारों को रोजगार मिली है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया गया था। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

*****